

668

अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2016



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

email

पत्र संख्या-प0 नि0 30-40/2015- 2912

प्रेषक,


दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

विषय:-

पंचायत निर्वाचन, 2016 : मतदान हेतु कतार में खड़े व्यक्तियों को मतदान का अवसर देने के संबंध में।



पत्र दिनांक- 13 अप्रैल, 2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 62 (2) के परन्तुक में स्पष्ट प्रावधान है कि " वे मतदाता, जो मतदान बंद होने के नियत समय तक मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतपत्र प्राप्त करने के अधिकारी होंगे एवं मतदान कर सकेंगे" इस आशय का निदेश आयोग द्वारा पूर्व में भी भेजा जा चुका है।

अनुरोध है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी को सचेत कर दिया जाय कि अगर मतदाता निर्धारित समय तक मतदान हेतु कतार में लगे रहेंगे तो अंतिम व्यक्ति से क्रम संख्याएँ एक शुरू कर पर्यं दे देंगे एवं अपनी डायरी में इस तथ्य का उल्लेख कर देंगे तथा सभी को मतदान का अवसर देंगे। इसका उल्लंघन करने वाले मतदान पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

जापोर :- 694 / प्र. दिनांक 19/04/16

विश्वासभाजन,

प्रतिनिधि :- सभी जिलों के वीच पदाधिकारी / नोडल अधिकारी / सभी निर्वाचन पदाधिकारी - तह - SDU / BDU / C.O / प्रमुख एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

De 16h
सचिव।

प्रतिनिधि :- सभी प्रेक्षा कक्षों के प्रमुख एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिनिधि :- जिला प्रमुख विभाग पदाधिकारी - मुंगेर के प्रमुख एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मुंगेर
8/4/16